

# डिक्री एवं मुकदमें इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया  
पीठासीन अधिकारी:- राकेश कुमार मीना(आर.ए.एस.)

प्रकरण सं. 223/2024

हरदीप सिंह पुत्र श्री माला सिंह जाति जटसिख निवासी भगतपुरा तहसील संगरिया जिला  
हनुमानगढ़(राज.) - वादी

बनाम्

1. माला सिंह पुत्र श्री शेर सिंह जाति जटसिख निवासी भगतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
2. प्रभजीत कौर पुत्री श्री माला सिंह जाति जटसिख निवासी भगतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
3. पाल सिंह पुत्र श्री शेर सिंह जाति जटसिख निवासी भगतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
4. विद्या देवी पत्नी श्री बृजलाल जाति जाट निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
5. शान्ति देवी पत्नी श्री रामप्रताप जाति जाट निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
6. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

- प्रतिवादीगण

वाद पत्र अ. धारा 88, 53 आर.टी.ए.

दिनांक :- 20.6.2024

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ राकेश कुमार मीना(आर.ए.एस.) के समक्ष  
वास्ते इनफिसाल कतई रोबरु हमारे बहाजरी श्री महावीर बेरड़ वकील वादी मिन जांमिन  
मुझे श्री कुलदीप मुण्ड वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 5 मिन जानिब मुदायला पेश होकर  
दुखम दिया जाता है व यह डिक्री दी जाती है कि:-

(क) वादी हरदीप सिंह पुत्र श्री माला सिंह(1.011 है.) एवं प्रतिवादी सं. 1 माला सिंह पुत्र  
श्री शेर सिंह(0.929 है.) समस्त जाति जटसिख निवासीगण भगतपुरा तहसील संगरिया  
जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाशत की कृषि भूमि :-  
चक 12 बी.जी.पी. विवादित खाता सं. 87/75 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76  
प.नं. मु.नं. कि.नं.

186/153	33	21ता24/0.253 है.प्र., 25/1/0.131 है.(किला नं. 24 के साथ चिपती हुई)
189/147	5	2/2/0.190 है., 9/0.253 है.
188/146	1	23/0.009 है.(किला की पूर्वी दिशा में)
188/147	6	2/1/0.004 है.(किला की दक्षिणी दिशा में), 3/0.075 है.(किला की दक्षिणी दिशा में), 8/0.253 है., 9/1/0.013 है. कुल 1.940 है. कृषि भूमि

(ख) प्रतिवादी सं. 3 पाल सिंह पुत्र श्री शेर सिंह जाति जटसिख निवासी भगतपुरा तहसील  
संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाशत की कृषि भूमि :-  
चक 12 बी.जी.पी. विवादित खाता सं. 87/75 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76  
प.नं. मु.नं. कि.नं.

187/153	32	8,9,12,13/0.253 है.प्र.
186/153	33	25/1/0.097 है., 25/2/0.025 है.
186/153	1	23/0.168 है.(किला की पश्चिमी दिशा में)
188/147	6	2/1/0.009 है.(किला की उतरी दिशा में), 3/0.178 है.(किला की उतरी दिशा में)

(ग) मुसकिन 1.464 है., गै.मु. 0.025 है., कुल 1.489 है. मय गै.मु. कृषि भूमि  
प्रतिवादीया सं. 4 विद्या देवी पत्नी श्री बृजलाल जाति जाट निवासी ढाबां तहसील  
संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाशत की कृषि भूमि :-  
चक 12 बी.जी.पी. विवादित खाता सं. 87/75 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76  
प.नं. मु.नं. कि.नं.

लगातार --2

महायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
संगरिया

189/147 5

20/0.253 है.

कुल 0.253 है. कृषि भूमि

प्रतिवादीया सं. 5 शान्ति देवी पत्नी श्री रामप्रताप जाति जाट निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाशत की कृषि भूमि :-  
चक 12 बी.जी.पी. विवादित खाता सं. 87/75 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76  
प.नं. मु.नं. कि.नं.

188/147 6

16/0.253 है.

कुल 0.253 है. कृषि भूमि

मुताबिक बंटवारा प्रतिवादी सं. 1, 3, 4 व 5 के नाम से तहसील संगरिया के चक 12 बी.जी.पी. के विवादित खाता सं. 87/75 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 में कुल 3.935 है. कृषि भूमि में से वादी को 1.011 है. कृषि भूमि का, प्रतिवादी सं. 1 को 0.929 है. कृषि भूमि का, प्रतिवादी सं. 3 को 1.489 है. कृषि भूमि का, प्रतिवादी सं. 4 व 5 को 0.506 है. कृषि भूमि के ब.हि.ब. के खातेदार काशतकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 का हिस्सा कम किया जावे तथा प्रतिवादी सं. 3 का नाम पाला सिंह के स्थान पर पाल सिंह का अंकन किया जावे।

नोट :- यदि डिक्रीत वादी/प्रतिवादी हक आराजी बैंक रहन नही है तो अमल दरामद मुताबिक डिक्री किया जावे।

निज .......... निल .......... मुब्लिक .......... निल .......... बाबत् ..........  
निल.......... खर्चा मुकदमें के मयशुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक ..........को अदा करे।

बसब्ल मेरे दस्तखत एवं मोहर अदालत से आज दिनांक 20.6.2024 को जारी किया जाता है।

(राकेश कुमार मीना)  
सहायक कमिश्नर एवं  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व),  
संगरिया